

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।



सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-20/2020-21

-: आदेश :-

सूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/7/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता रोशनी देवी, पति-स्व0 दिनु महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-पुपुनकी (घाटबेड़ा), थाना-चास (मु0), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-पुपुनकी (घाटबेड़ा), थाना नं0-53 के खाता संख्या-14, प्लॉट नं0-5193, 6011, 6012 एवं 1687, रकवा क्रमशः 11.00 डी0, 10.00 डी0, 03.00 डी0 एवं 05.25 डी0 इस प्रकार कुल रकवा-29.25 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 286/भू0सु0, दिनांक 29.06.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1191 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे करमु महतो दीगर के नाम से दर्ज है।2. (क). विक्रेता ग्राम-पुपुनकी, थाना-चास (मु0), जिला-बोकारो के मूल निवासी हैं। (ख). क्रेता ग्राम-पुपुनकी, थाना-चास (मु0), जिला-बोकारो के मूल निवासी हैं।3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के कुर्मी हैं, जो पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में आते हैं।4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.60 एकड़ भूमि शेष बचता है।5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान के द्वारा प्राप्त है।7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-II के थोका संख्या-69 में करमु महतो दीगर के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 2017-18 तक रसीद निर्गत है।8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है।9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म-बाईद, बाईद मोटा आईल है।11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-पुपुनकी, के खाता संख्या-14, प्लॉट नं0-5193, 6011, 6012 एवं 1687, रकवा क्रमशः 11.00 डी0, 10.00 डी0, 03.00 डी0 एवं 05.25 डी0 इस प्रकार कुल रकवा-29.25 डी0 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर द कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख
	<p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2019/741800 - दिनांक 09.10.2019 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र-JHRC/2019/759359 दिनांक 10.10.2019 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता रोशनी देवी, पति-स्व० दिनु महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-पुपुनकी (घाटबेड़ा), थाना-चास (मु०), अंचल-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-पुपुनकी (घाटबेड़ा), थाना नं०-53 के खाता संख्या-14, प्लॉट नं०-5193, 6011, 6012 एवं 1687, रकवा क्रमशः 11.00 डी०, 10.00 डी०, 03.00 डी० एवं 05.25 डी० इस प्रकार कुल रकवा-29.25 डी० भूमि क्रेता पुथला देवी, पति-स्व० विजय कुमार महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-पुपुनकी (घाटबेड़ा), थाना-चास (मु०), जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>	